B.A. Part I
Paper II by
Dr. Akhlakh Ahmad
D.K. College, Dumraon

प्रश्न : अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्य शक्तियों का वर्णन करें।
(Describe Power and functions of American President)

उत्तर : विश्व की कार्यपालिकाओं में शक्ति और सम्मान की दृष्टि से संयुक्त राज्य अद्वितीय महत्व और प्रभाव का पद माना जाता है। वह देश के संवैधानिक तथा वास्तविक अध्यक्ष दोनों ही हैं। संविधान लागू होने के बाद से राष्ट्रपति की शक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही है और "वाशिंगटन से लेकर ... तक प्रत्येक राष्ट्रपति ने इसे अधिक शक्तिशाली बनाने में योग दिया है।" फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य नागरिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता और राज्यों की सत्ता को आगे रखने के बहुत अधिक इच्छुक थे और राष्ट्रपति पद को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहते थे। लेकिन संविधान लागू किए जाने के बाद से लेकर अब तक राष्ट्रपति की शक्ति में निरंतर वृद्धि होती रही है।

According to Ogg (आग) : "The American president has been the greatest ruler of the world."

W.A. Munro says about it - "The President of the U.S.A. Exercises the largest amount of authority, ever wielded by any man in a democracy."

योग्यताएँ (Qualifications) :-

संविधान के अनु० 2 (i) में राष्ट्रपति पद की योग्यता का उल्लेख किया गया है - (क) वह U.S.A का जन्मजात नागरिक हो (ख) 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो. (ग) कम से कम 14 वर्ष तक अमेरिका में रह चुका हो।

कार्यकाल एवं पदच्युति (Term and Impeachment) :

संविधान के अनु० 2 की उपधारा 1 में निश्चित किया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होगा। इस अवधि में वह स्वयं त्याग-पत्र देकर अथवा मृत्यु हो जाने पर अथवा महाभियोग पारित हो जाने पर ही अपने पद से पृथक हो सकता है या किया जा सकता है। महाभियोग प्रतिनिधि सभा के बहुमत के प्रस्ताव से चलाया जाता है और उसकी सुनवाई सीनेट द्वारा होती। सुनवाई के समय सीनेट की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। दो-तिहाई बहुमत से सीनेट राष्ट्रपति को अपराधी घोषित क

Scanned with CamScanner

सकती है। अब तक किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग सिद्ध नहीं किया जा सका है। यह अभियोग देशद्रोह, घूँसखोरी अथवा अन्य गम्भीर अपराधों के कारण ही लगाया जा सकता है। 1951 के एक संशोधन के अनुसार अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि कोई भी व्यक्ति दो बार से अधिक अवधि के लिए राष्ट्रपति नहीं रह सकता। राष्ट्रपति का कार्यकाल 366 दिन वाले वर्ष के पश्चात आने वाले वर्ष की 20 जनवरी को दोपहर को समाप्त हो जाता है। युद्धकाल में कॉंग्रेस द्वारा राष्ट्रपति से सुनाव लड़कर तीसरी बार राष्ट्रपति पद ग्रहण करने के लिए आग्रह किया जा सकता है।

वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएँ

वेतन, भत्ते के सम्बन्ध में इसका निश्चय कॉंग्रेस ही करती है जिन्हें राष्ट्रपति के कार्यकाल में बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता है। 1909 और 1949 के बीच राष्ट्रपति का वार्षिक वेतन 75,000 डॉलर था। January 1969 में Nixon के राष्ट्रपति पद-ग्रहण करने की तिथि के बाद से यह वेतन 2 लाख डॉलर वार्षिक कर दिया गया है। यह कर-मुक्त नहीं है। उसे 50,000 डालर 'सामान्य खर्च भत्ता' के रूप में प्रदान किया जाता है। रहने के लिए 17 एकड़ भूमि का 'White House' है। पेंशन भी दिया जाता है।

उन्मुक्तियाँ (Immunities) :

राष्ट्रपति देश के प्रधान के रूप में कहीं भी आ-जा सकता है। किसी भी अपराध के लिए उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और किसी भी न्यायालय में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। केवल महाभियोग ही एक अपवाद है। 1973 में जब वाटरगेट काण्ड की जाँच के सिलसिले में न्यायाधीश सिरिका ने तत्कालीन राष्ट्रपति निक्सन के नाम 'सब पोना' (गवाही के लिए उपस्थित होने अथवा आवश्यक कागजात पेश करने का आदेश) जारी किया तो निक्सन ने उन्मुक्तियों के आधार पर ही इसे अस्वीकार कर दिया लेकिन राष्ट्रपति को भी अधिकार प्राप्त की सीमा है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर उपराष्ट्रपति इस पद को धारण करता है और इन दोनों के अभाव में Congress ही निर्णय करती है कि कौन अधिकारी राष्ट्रपति पद पर कार्य करेगा।

Powers and Functions of the President :—

राष्ट्रपति के अधिकारों और कर्तव्यों का क्षेत्र बहुत व्यापक है। इसकी ये विशाल शक्तियाँ तथ्यतः अनेक कीलों का परिणाम रही हैं। प्रथम संविधान स्रोत है। संविधान के अनु० 2 में कहा गया कि – "अमेरिकी संघ की कार्यपालिका शक्ति एक राष्ट्रपति में निहित होगी।" कॉंग्रेस को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियों को छीन ले या कम कर सके। दूसरा स्रोत न्यायिक निर्णय है जिनके द्वारा राष्ट्रपति की शक्तियों को परिभाषित किया गया है जहाँ संविधान अस्पष्ट था। इस न्यायिक रूपरेखा से राष्ट्रपति को अनेक निहित शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तीसरा स्रोत कॉंग्रेस के अधिनियम हैं जिनसे समय-समय पर राष्ट्रपति को स्व-विवेक की शक्तियाँ मिली हैं। चौथा स्रोत परम्पराएँ एवं प्रथाएँ हैं जिनके द्वारा भी राष्ट्रपति की शक्तियों में पर्याप्त वृद्धि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति का पद आज किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र की तुलना में सर्वाधिक शक्तिशाली पद है। थॉमस सिंगर के शब्दों में – "वाशिंगटन से लेकर अब तक प्रत्येक राष्ट्रपति ने इस पद को अधिक शक्तिशाली बनाने में योग दिया है।" मुनरो के अनुसार – "अब तक लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति ने इतनी अधिक सत्ता का प्रयोग नहीं किया, जितना कि अमेरिकी राष्ट्रपति करता है।"

यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति विशाल शक्तियों का उपभोग करता है, तथापि वह सामान्यतः अनेक सीमाओं के अन्दर कार्य करती है और किसी भी दशा में संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) कार्यपालिका शक्तियाँ (Executive Powers) :

राष्ट्रपति को यद्यपि अमेरिकी शासन और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शक्तियाँ प्राप्त हैं लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कार्यपालिका शक्तियाँ हैं। ऑग और रे के अनुसार – "राष्ट्रपति प्रमुख विधि निर्माता, दलीय नेता, राष्ट्रीय हितों का सामान्य संरक्षक या अन्य चाहे जो कुछ भी हो वह सर्वप्रथम एक कार्यपालिका ही है।" इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं –

(a) शासन-संचालन और विधि का पालन कराने की शक्तियाँ –

राष्ट्र का प्रमुख शासक होने के नाते राष्ट्रपति की संवैधा

सरकार के प्रशासन सम्बंधी समस्त कार्यों के लिए अंतिम रूप से उत्तरदायी है। प्रशासकीय विभागों का संगठन और विस्तार Congress करती है, पर उसके पुनर्गठन और कार्यों का निरीक्षण राष्ट्रपति करता है। वह देखता है कि संविधान, संविधियों और न्यायिक निर्णयों का पालन समस्त देश में हो रहा है या नहीं। वह किसी भी विभाग के अधिकारी से किसी भी विषय पर प्रतिवेदन अथवा परामर्श माँग सकता है।

According to Carr, Burnstell & Murphy - " अमेरिकी राष्ट्रपति राज्य भी करता है और शासन भी।"

According to Strong : " विश्व में आज किसी संवैधानिक राज्य में कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं है जिसकी शक्तियाँ इतनी विशाल हों कि जितनी की अमेरिकी राष्ट्रपति की है।"

राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि वह Congress द्वारा निर्मित कानूनों को पूरी तरह लागू कराए चाहे वह चाहे उनसे सहमत हो अथवा नहीं। किसी कानून की वांछनीयता या अवांछनीयता को देखने का कार्य कॉंग्रेस का है और उसकी वैधता या अवैधता का परीक्षण करने का कार्य न्यायपालिका है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा और उसका पालन करता है।

(b) नियुक्ति सम्बन्धी शक्तियाँ (Powers of appointments) -

राष्ट्रपति को नियुक्ति सम्बंधी भी अधिकार प्राप्त हैं। उच्चवर्गीय पदों की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति से करता है जबकि निम्नवर्गीय पदों पर नियुक्तियाँ राष्ट्रपति अपनी इच्छा से ही कर सकता है। उच्च वर्गीय पदों में मंत्रि अथवा सचिव, विदेशों में अमेरिकी राजदूत, वाणिज्य दूत, विशेष दूत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सुरक्षा समिति तथा सर्वोच्च परिषद् के सदस्य, केन्द्रीय शासन के अध्यक्ष, तथा बड़े-बड़े अधिकारों के पद सम्मिलित हैं। सभी नियुक्ति में सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है। प्रायः Senate doesnot refuse.

निम्नस्तरीय पदों पर नियुक्तियाँ करने का अधिकार यद्यपि राष्ट्रपति को है, तथापि सुविधा की दृष्टि से राष्ट्रपति ने यह भार विभिन्न विभागों के अध्यक्षों को सौंप दिया है। संविधान के 25 वें संशोधन ने राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि उप-राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाने पर वह उप-राष्ट्रपति की नियुक्ति कर दे, लेकिन सीनेट की स्वीकृति आवश्यक है।

(c) पदच्युति की शक्तियाँ (Powers of Removal) -

कॉंग्रेस द्वारा अंतिम रूप से यही निर्णय किया गया है कि किसी को पदच्युत करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही होगा, और इसके लिए सीनेट की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। तीन वर्ग अपवाद है. वह निम्नांकित वर्गों के अधिकारियों को राष्ट्रपति स्वयं पदच्युत नहीं कर सकता -

- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन्हें केवल महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है।
- कॉंग्रेस द्वारा स्थापित विभिन्न आयोगों और बोर्डों के सदस्य जिन्हें कॉंग्रेस के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ही पदच्युत किया जा सकता है।
- लोक सेवा नियमों के अनुसार हुई नियुक्तियाँ जिन्हें केवल तभी वियुक्त किया जा सकता है जब उनके द्वारा लोक सेवा की कार्यकुशलता में बाधा पड़े।

(d) सशस्त्र बलों के प्रधान सेनापति के रूप में सैनिक शक्तियाँ -

युद्ध और शांति दोनों ही काल में राष्ट्रपति U.S.A की सेना का प्रधान सेनापति है। इसलिए वही उच्च सैनिक अधिकारियों की नियुक्तियाँ करता है, पर इन नियुक्तियों के लिए सीनेट का अनुसमर्थन आवश्यक होता है। युद्धकाल में राष्ट्रपति को सभी प्रकार के सैनिक अधिकारियों को सेवामुक्त करने का अधिकार होता है। आवश्यकता पड़ने पर सभी सेनाओं को कार्य करने का आदेश दे सकता है। देश की प्रतिरक्षा और शत्रु को पराजित करने के उद्देश्य वह कोई भी कार्यवाही कर सकता है। वह अमेरिकी सेनाओं को विश्व के किसी भी स्थान पर भेज सकता है। यद्यपि राष्ट्रपति कॉंग्रेस की स्वीकृति के बिना युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता लेकिन युद्ध को समाप्त करने तथा स्थगित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को ही है। मुनरो के अनुसार - "युद्धकाल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ उतनी ही अधिक है, जितनी नेपोलियन या ऑलीवर क्रामवेल की थी।"

(e) वैदेशिक विषयों से सम्बन्धित शक्तियाँ -

वैदेशिक अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में राष्ट्रपति ही देश का सबसे प्रमुख प्रवक्ता है। राष्ट्रीय विदेश-नीति का उत्तरदायित्व उसी पर है। राष्ट्रपति को राजदूतों और विदेशों में अपने देश के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार है। विदेशी राजदूतों, वाणिज्य दूतों और विदेश दूतों के प्रमाण-

वही स्वीकार करता है और इस प्रकार विदेशी सरकारों को मान्यता देता है। वह किसी राष्ट्र के राजनयिक प्रतिनिधि या दूत को अवांछनीय घोषित करके उसे देश छोड़ने के लिए बाध्य कर सकता है। राष्ट्रपति ही विदेशों से सन्धियाँ सम्पन्न करता और उन पर हस्ताक्षर करता है। इन सन्धियों अथवा समझौतों पर सीनेट के दो-तिहाई मत से पुष्टि की आवश्यकता होती है।

(f) स्वविवेकी शक्ति (Discretionary Powers) –

इन शक्तियों के बल पर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को कोई काम करने से रोक सकता है अथवा कोई कार्य करने के लिए बाध्य कर सकता है। इस शक्ति के प्रयोग में न्यायालय रुकावट नहीं करता। वस्तुतः राष्ट्रपति इतनी व्यापक शक्तियों का स्वामी है कि न्यायालय भी अपने निर्णय कार्यान्वित कराने में राष्ट्रपति पर ही निर्भर रहता है।

2. विधायी शक्तियाँ (Legislative powers) –

व्यवस्थापन कार्यों में भाग लेने की शक्ति राष्ट्रपति ने संविधान के इन शब्दों से ग्रहण कर ली है – "राष्ट्रपति समय-समय पर राष्ट्र की स्थिति के सम्बन्ध में काँग्रेस को सूचना देता रहेगा और साथ ही उन पर विचार के लिए वह व्यवस्थाओं की सिफारिश भी करता रहेगा जिनको वह आवश्यक तथा उपयोगी समझता हो।" Potter says – "संविधान ने राष्ट्रपति को विधायी प्रक्रिया के प्रारम्भ और अन्त में स्थान दिया है।" इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य आते हैं

(a) काँग्रेस को सन्देश भेजने का अधिकार –

राष्ट्रपति काँग्रेस को आंतरिक और बाह्य परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए सन्देश भेज सकता है और यह सुझाव भी दे सकता है कि क्या किया जाना चाहिए। सन्देश Congress के क्लर्क के पास मौखिक या लिखित रूप में भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति अपने सन्देश में उपायों, सुझावों और विधेयकों का उल्लेख करता है। ये सन्देश राष्ट्रपति की नीति को स्पष्ट करते हैं और Congress इन्हें अपनी कार्यवाही में प्राथमिकता देती है। राष्ट्रपति के सन्देश समाचारपत्रों में प्रकाशित होते हैं जिनके माध्यम से वह जनमत को प्रभावित करता है। वैधानिक रूप में Congress राष्ट्रपति के सन्देश मानने को बाध्य नहीं है, किन्तु व्यवहार में इन आदेशों के अनुसार ही वह अपना विधायी कार्य प्रारम्भ करता है।

(b) विशेष अधिवेशन बुलाने का अधिकार –

संविधान राष्ट्रपति को कॉंग्रेस का विशेष अधिवेशन आमंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह विशेष अधिवेशन कुछ दिनों तक चल सकता है या उस समय तक चल सकता है जबतक कि नियमित अधिवेशन आरम्भ न हो। राष्ट्रपति कॉंग्रेस से नियमित अधिवेशन में अधिक काल तक बैठने के लिए मॉंग कर सकता है ताकि कानून बनाए जा सकें और यदि कॉंग्रेस इन्कार करे तो वह विशेष अधिवेशन बुलाने के अधिकार का प्रयोग कर सकता है।

(c) निषेधाधिकार (Veto) -

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शक्ति निषेधाधिकार की है। संविधान में कहा गया है कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पारित होने के पश्चात प्रत्येक विधेयक कानून बनने के पूर्व U.S.A के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। राष्ट्रपति को विधेयक पर पूर्ण निषेधाधिकार नहीं वरन मर्यादित निषेधाधिकार ही प्राप्त है। दो प्रकार के निषेधाधिकार प्राप्त हैं -

विलम्बकारी निषेधाधिकार (Suspensive veto) - जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है तो राष्ट्रपति उसे अस्वीकृत कर सकता है और अपनी आपत्तियों के साथ उसे सदन में लौटा देता है जिसमें वह प्रारम्भ हुआ था। यदि पुनः दोनों सदन दो-तिहाई बहुमत से इसे पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है और इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निषेधाधिकार मर्यादित है, पूर्ण नहीं, लेकिन इसका महत्व इस दृष्टि से है कि सदा दो-तिहाई बहुमत मिलना आसान नहीं होता और राष्ट्रपति द्वारा एक बार अस्वीकृत किए जाने पर विधेयक समाप्त हो ही जाता है। 1789 से 1925 तक राष्ट्रपति ने 600 बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें केवल 36 विधेयक Congress द्वारा पुनः पारित हो सके।

जेबी निषेधाधिकार (Pocket veto) -

इस पद्धति में यह व्यवस्था है कि जब कॉंग्रेस का सत्र चल रहा हो तो उसमें यदि राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक स्वीकृति के लिए आता है और राष्ट्रपति की Table पर ही दस दिन पड़ा रह जाता है तो वह स्वतः ही कानून का रूप ले लेता है चाहे राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर न किया हो परन्तु कोई विधेयक राष्ट्रपति के कॉंग्रेस सत्र के अंत के निकट भेजा जाता है और दस

दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व ही सत्र विलम्बित हो जाता है तब राष्ट्रपति उस विधेयक पर कोई कार्यवाही न कर उसको समाप्त कर सकता है। अर्थात यदि काँग्रेस के सत्र के अंतिम दस दिनों में वह किन्हीं भी विधेयकों को बिना स्वीकृति या अस्वीकृति दिए पड़े रहने देता है, तो काँग्रेस उन्हें फिर अपने दो-तिहाई बहुमत से भी पारित नहीं कर सकती क्योंकि उसका सत्र समाप्त हो जाता है। परिणाम यह होता है कि वे विधेयक बिना अस्वीकृति के ही अस्वीकृत हो जाते हैं। इस प्रकार कोई कार्यवाही न कर विधेयक को समाप्त करने का अधिकार राष्ट्रपति का Pocket veto कहलाता है।

(d) जनता से अपील (Power of appeal) -

राष्ट्रपति राष्ट्र का सम्मानित नेता होता है। जब वह काँग्रेस को अपने विरुद्ध समझता है तो वह जनता से सीधे अपील करके काँग्रेस में अपने विरोधियों के विरुद्ध लोकमत बनाने की सफल चेष्टा कर सकता है। काँग्रेस को सही रास्ते पर लाने के लिए अमेरिका में राष्ट्रपतियों ने कई बार इस शस्त्र का उपयोग किया है। इससे वह काँग्रेस पर दबाव स्थापित करता है।

3. न्यायिक शक्तियाँ (Judicial Powers) -

देश का प्रधान होने के कारण राष्ट्रपति को क्षमा करने अथवा उसके प्राणदण्ड को स्थगित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति काँग्रेस एवम् न्यायालयों से पूर्ण स्वतंत्र होकर अपना क्षमादान करने के अधिकार का प्रयोग करता है, तथापि इनके प्रयोग में उस पर दो वैधानिक सीमाएँ हैं -

- जिस व्यक्ति को महाभियोग द्वारा दण्डित किया गया हो, राष्ट्रपति उसे क्षमा नहीं कर सकता एवं
- राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों में अपने क्षमादान के अधिकार का प्रयोग कर सकता है जिनमें अपराध संघीय कानूनों के विरुद्ध किया गया हो, न कि किसी राज्य के कानून के विरुद्ध।

यदि कोई अपराधी राष्ट्रपति को क्षमादान के लिए प्रार्थना-पत्र भेजे तो राष्ट्रपति उस पर इनमें से कोई भी कार्यवाही कर सकता है -

(a) पूर्ण अथवा बिना शर्त क्षमादान (b) सशर्त क्षमादान
(c) बिना क्षमा किए अभिवचन (Parole) पर मुक्ति (d) दण्ड घटा देना
(e) प्राणदण्ड का स्थगन (f) कोई भी कार्यवाही करने से इंकार कर देना।

राष्ट्रपति ऐसे अपराधियों को सामूहिक क्षमादान भी दे सकता है जिन्हें व्यक्तिगत रूप में दण्डित न कर संघीय कानून को भंग करने के अपराध में एक साथ दण्डित किया गया हो। राष्ट्रपति क्षमादान के अपने अधिकार का प्रयोग न्याय विभाग की सिफारिश के अनुसार ही करता है। As- President Johnson ने 1963 में उन सभी व्यक्तियों को क्षमा कर दिया जो स्वेच्छा से दक्षिण की ओर से लड़े थे।

4. दलीय नेता और राष्ट्र-नेता के रूप में (As a party leader & National leader) — राष्ट्रपति द्वारा दल का नेतृत्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दलीय नेतृत्व से कम महत्वपूर्ण नहीं है। दल के नेता के रूप में ही वह निर्वाचित होता है। अपनी विधायी योजनाओं के लिए राष्ट्रपति अपने दल के काँग्रेस सदस्य पर निर्भर करता है। सम्पूर्ण देश में राष्ट्रपति ही दल का एक मात्र सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है और दलीय नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र की आँखें उसकी तरफ लगी रहती हैं। राष्ट्रपति को दल के सर्वोच्च नेता और निर्देशक की स्थिति प्राप्त है।

राष्ट्रपति अपने दल का ही नहीं बल्कि राष्ट्र का भी नेता होता है ब्रिटिश सम्राट की भाँति वह अपने राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है और अमेरिकी राजनीतिक जीवन की धुरी है। उसे देश का भाग्य विधाता और संरक्षक कहा जाता है। वह सभी मामलों में राष्ट्र का प्रवक्ता होता है वह देश की एकता और अखण्डता का प्रतीक है।

5. संकटकालीन शक्तियाँ (Emergency powers) -

युद्ध, आंतरिक अशांति अथवा आर्थिक संकट से उत्पन्न राष्ट्रीय संकटों के समय राष्ट्रपति विशाल शक्तियों का प्रयोग करने की स्थिति में आ जाता है फिर भी संकटकालीन शक्तियों पर निम्नांकित प्रतिबन्ध रहते हैं -

(a) संकट वास्तविक होना चाहिए,

(b) संकट से सम्बंधित काँग्रेस का कोई पूर्व कानून न हो एवं

(c) संकट की आकस्मिक उत्पत्ति के कारण काँग्रेस को समुचित कदम उठाने का अवसर न मिल पाया हो।

अमेरिकी राष्ट्रपति को विशाल शक्तियाँ प्राप्त हैं फिर भी वह तानाशाह

नहीं बन सकता है। उस पर American Congress, सजग जनमत और न्यायपालिका का नियंत्रण है।

राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि के कारण :—

U.S.A के संवैधानिक विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति पद की शक्तियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। जार्ज वाशिंगटन के समय से बिल क्लिंटन के समय तक राष्ट्रपति पद विश्व का सर्वाधिक शक्तिशाली पद हो गया है। अमेरिकी संविधान के निर्माता किसी भी पदाधिकारी को बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन परिस्थितिवश राष्ट्रपति पद सभी संवैधानिक सीमाओं को पार कर गया है।

(i) राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण यह है कि इस पद को धारण करने वाले महान व्यक्ति रहे हैं, जिन्होंने संविधान की उदार व्यवस्था को ग्रहण करते हुए दूरदर्शिता और साहस के साथ राष्ट्रीय हित में कार्य किया।

(ii) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी संविधान की व्याख्याओं ने भी राष्ट्रपति पद को शक्तिशाली बनाने का ही कार्य किया है। संविधान की अस्पष्टता या उसके मौन की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की व्याख्या इस प्रकार से की है कि राष्ट्रपति को बहुत सी शक्ति प्राप्त हो गयी। As- संविधान सार्वजनिक अधिकारियों की पदच्युति की विधि के सम्बंध में मौन है।

(iii) राष्ट्रपति पद के प्रजातन्त्रीकरण ने भी उसकी शक्तियाँ बनाने में योग दिया है। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन आज भी अप्रत्यक्ष रीति से ही होता है किन्तु व्यवहार में राष्ट्रपति के निर्वाचकों का चुनाव जिस प्रकार से होता है और उसके बाद जिस प्रकार वे राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, उसने इसे एक प्रत्यक्ष निर्वाचन का रूप प्रदान कर दिया है।

(iv) U.S.A के एक महान विश्व शक्ति के रूप में उदय और अमेरिका द्वारा लोककल्याणकारी राज्य की धारणा को अपना लेने के कारण भी राष्ट्रपति पद की शक्तियों में वृद्धि हुई है। राज्य के कार्यक्षेत्र में होने वाली निरन्तर वृद्धि ने राष्ट्रपति की शक्तियों में किस प्रकार से वृद्धि की है- As- 1791 में राष्ट्रपति वाशिंगटन ने 9 अपराधियों को क्षमा प्रदान की। 8 वर्ष के कार्यकाल में 2 बार veto का प्रयोग किया।

Scanned with CamScanner

(v) अमेरिकी संविधान को लागू करने के बाद अमेरिकी राष्ट्र के सामने जो संकट आये, इस कारण भी शक्तियों में वृद्धि हुई है। संकटकाल में राष्ट्र को कुशल एवं सुदृढ़ नेतृत्व की आवश्यकता होती है और यह नेतृत्व राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रदान किया जा सकता है। लिंकन के शासनकाल में गृहयुद्ध के कारण राष्ट्रपति को नवीन शक्तियाँ मिली थी, इसी प्रकार प्रथम विश्वयुद्ध, 1930 के आर्थिक संकट, द्वितीय विश्वयुद्ध और युद्धोपरान्त शीतयुद्ध ने राष्ट्रपति पद की शक्तियों को बढ़ाया है।

(vi) वर्तमान समय में प्रशासनिक पेचीदगियाँ बढ़ जाने से कार्यपालिका आदेश की प्रवृत्ति का विकास हुआ है और इसने राष्ट्रपति को न केवल प्रशासन वरन् कानून निर्माण के क्षेत्र में भी शक्ति प्रदान कर दी है।

(vii) सोवियत संघ के पतन के बाद U.S.A ही विश्व की एकमात्र महाशक्ति रह गया है तथा वह ही विश्व राजनीति को नियंत्रित करता है। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने इराक, उत्तरी कोरिया आदि के मामलों में प्रभावशाली कार्यवाही करके यह सिद्ध कर दिया है कि अमेरिका राष्ट्रपति बहुत शक्तिशाली है।

(viii) संविधान द्वारा वैदेशिक मामलों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। क्योंकि Congress or Senate पूरी तरह नहीं निभा सकती। इन परिस्थितियों में राष्ट्रपति का अधिकाधिक शक्तिशाली हो जाना स्वाभाविक है।

(ix) संचार साधनों के विकास तथा आधुनिक आविष्कारों ने राष्ट्रपति को जनता के निकट-सम्पर्क में ला दिया है। प्रेस, रेडियो, टेलीविजन आदि द्वारा वह जनता से सीधे अपील कर सकता है। इन साधनों का प्रयोग करके वह एक अत्यंत लोकप्रिय नेता बन सकता है।

(x) स्वार्टज (Swartz) ने कहा है कि 1949 and 1956 के पुनर्गठन अधिनियम के अधीन शक्ति के उपयोग ने राष्ट्रपति को अमेरिकी प्रशासन के प्रधान के रूप में अपनी स्थिति दृढ़ और विस्तृत करने का अवसर प्रदान किया है।

Dr. Akhlakh Ahmed
Asst. Prof. (Dept. of Pol. Sc.)
D.K. College, Dumraon

Scanned with CamScanner